

आवंटनादेश

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
वैशाली (हाजीपुर)/ मुजफ्फरपुर ।

पटना, दिनांक:- 7-10-15

विषय:- मुख्य शीर्ष 2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-109-बीड़ी कर्मकार कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु (विपत्र कोड-P-2230011090101)के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 2689 दिनांक-27.08.15 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बीड़ी श्रमिकों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत बीड़ी श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले अंशदान ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की भरपाई के लिए अनुदान की राशि प्रति आवास ₹ 4000/- (रूपये चार हजार) मात्र की दर से सहायक वेतनादि के अलावा इकाई (31-06) में कुल 36 बीड़ी श्रमिकों (सूची संलग्न) के गृह निर्माण हेतु 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

क्र. सं.	जिला पदाधिकारी का नाम	बीड़ी श्रमिकों की संख्या	सहायक वेतनादि के अलावा 3106 में कुल आवंटित राशि प्रति आवास 4000/- की दर से
1	जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)	35	35X4000 = 140000
2	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	01	01X4000 = 4000
	कुल योग	36	36X4000 = 144000

कुल आवंटित राशि ₹ 1,44,000/- (₹ एक लाख चौवालिस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.15 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में यथा शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभजन,

(प्रकाश कुमार) 10
श्रमायुक्त, बिहार।

05/10/15

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/2015 श्र.सं.- 56 पटना, दिनांक 7-10-15
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार) 10
श्रमायुक्त, बिहार।

05/10/15

ज्ञापांक-6/एफ1-3010/2015 श्र.सं.- 56 पटना, दिनांक 7-10-15
प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-04 श्रम पक्ष को उनके गै.सं.प्रे.सं.-178 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-17.9.15 के आलोक में एवं प्रशाखा-06 श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

- उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-04) द्वारा किया जायेगा ।

(प्रकाश कुमार) 10
श्रमायुक्त, बिहार।

05/10/15